


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::- कार्यालय-आदेश ::-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(16)शिक्षा-2/2019, जयपुर दिनांक-02.12.2020 की पालना में निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर में निम्नलिखित कार्मिक का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित स्थान पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए लगाये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

क्रम सं	नाम एवं पदनाम	वर्तमान स्थान	पदस्थापन	प्रतिनियुक्ति पर पद नाम	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	
1	श्रीमती रेखा यादव व्याख्याता	राउमावि, मुण्डावर, अलवर	करनीकोट,	राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष	डॉ. राधाकृष्णन् राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, गांधी नगर, जयपुर

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावे।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2019

दिनांक-07/12/2020

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा राज्यमंत्री, माध्यमिक व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर।
- 2- निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
- 3- शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4- राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष, डॉ. राधाकृष्णन् राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, जे.एल.एन. मार्ग, गांधी नगर, जयपुर।
- 5- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर संभाग, जयपुर
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर/जयपुर।
- 7- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 8- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9- रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर